राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1820/2025

रोशन बाई मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, डीडवाना–कुचामन।
4. प्रधानाध्यापक, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बिदियाद, ब्लॉक परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश चौधरी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बिदियाद ब्लॉक परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नोसरिया किया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी एवं आदेश दिनांक 10.09.2012 द्वारा रा.उ.प्रा.वि. विटवालिया पंचायत समिति परबतसर में हुई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) जारी कर अधिशेष घोषित करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 09.12.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यथावत या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, परबतसर में पदस्थापित रखे जाने का निवेदन किया। इसके पश्चात दिनांक 10.12.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के पत्र दिनांक 09.12.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्मिकों को उनकी परिवेदना निस्तारण होने तक कार्यमुक्त नहीं किया जावे। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक

27.01.2025 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक–7 एवं 8) द्वारा पुनः प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी पंचायतीराज का कर्मचारी है। उसकी 6डी नहीं हुई है। अतः पंचायतीराज अंतरित गतिविधि नियम 2011 के नियम 8 (ii) का उल्लघंन हुआ है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.12.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता महिपाल खर्रा द्वारा निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार है एवं अपीलार्थी की 6डी हो चुकी है। इसलिए अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 08.12.2024 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बिदियाद ब्लॉक परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नोसरिया किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष किया गया है एवं उसी ब्लॉक में पद रिक्त होने के बावजूद अन्य ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है। हम पाते है कि हिन्दी माध्यम विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अपग्रेड किया गया है। अपीलार्थी उस स्थान पर पहले से पदस्थापित है। अपीलार्थी का नियमानुसार अंगेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय में चयन नहीं हुआ है। अपीलार्थी महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में अचयनित कार्मिक है एवं अपीलार्थी को नियमानुसार अधिशेष घोषित किया जाकर निकटतम ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी की वर्ष 2018 में 6डी हो चुकी है। अपीलार्थी ने अपील में गलत तथ्य प्रस्तुत किया है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य